

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट - II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी -35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प. -II)/पी.सी.III/ विविध पत्राचार/

दिनांक: /09/2025

परिपत्र

विषय: Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 के सम्बन्ध में।

कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग), नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन की पद्धतियों को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को कार्यालय अधिसूचना सा.का.नि. 599 (अ) दिनांक 02.09.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

इस विषय पर, सम्पूर्ण जानकारी हेतु कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय अधिसूचना सा.का.नि. 599 (अ) दिनांक 02.09.2025 की प्रति संलग्नित है, जिसे सम्बंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यालय के सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह उपलिखित अधिसूचना का संज्ञान लेते हुए तदनुसार नियमानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह परिपत्र वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

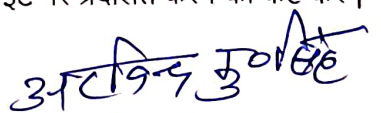
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/पी. सी. अनुभाग

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प. -II)/पी.सी.III/ विविध पत्राचार/TR-234 दिनांक: 26/09/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/AMG-II एवं प्रशासन
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/AMG-III
3. उपमहालेखाकार/ AMG-IV
4. उपमहालेखाकार/ AMG-I, शाखा कार्यालय- प्रयागराज
5. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ. प्र., लखनऊ
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी कंट्रोल/ AMG-I/ AMG-II/ AMG-III/ AMG-IV
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/जी. डी./आई.टी.ए./रिपोर्ट-I/रिपोर्ट-II/राजस्व रिपोर्ट/ एन. आर.ए./डी.सी.आर.ए./जी.पी.एफ.आर./ एवं आई. टी. सेल अनुभाग को इस आशय से प्रेषित है कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ, कार्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
8. नोटिस बोर्ड

प्र. ले 43/ वन्दे
26.9.25


सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पी. सी. अनुभाग